न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– **श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– **302/2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2023/497**

प्रार्थी	**बनाम** **विप्रार्थी**
1.छोगाराम पुत्र फरसाराम 2.पोलाराम पुत्र फरसाराम 3.जसकी पत्नि फरसाराम जाति मेधवाल निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	1.घेवरराम पुत्र मूलाराम 2.डूंगरराम पुत्र मूलाराम 3.बाबूराम पुत्र मूलाराम 4.मोहन पुत्र मूलाराम 5.सुआ पत्नि मूलाराम जाति मेधवाल निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.अंकल कंवर पत्नि राजूसिंह 7.सवाईसिंह पुत्र राजूसिंह 8.माधूसिंह दत्तकपुत्र भैरूसिंह 9.पेपसिंह पुत्र भंवरसिंह 10.भोपालसिंह पुत्र भंवरसिंह 11.सुआकंवर पत्नि भंवरसिंह 12.दीपसिंह पुत्र दलपतसिंह 13.हरिसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 14.राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार जरिए सचिव भारत नई दिल्ली 15.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री कपिल श्रीमाली ,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 26.3.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01,2,4 व 12 ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने पर अनापति दी गई। शेष विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1,2,4 व 12 वक्त बहस उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर [illegible] रा[illegible] रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल. आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 22.6.2022 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है,ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा जेतमाल पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196/59 क्षेत्रफल 7.5110 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 305/117 क्षेत्रफल 3.5693 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 26.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा